न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– मुन्नीराम बागड़िया
आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 02/2018

बजरंगलाल पुत्र झानाराम जाति जाट निवासी ग्राम शोभा का बास तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।

–अपीलार्थी

–बनाम–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मलसीसर, जिला झुन्झुनूं।
2. ग्रामवासीगण शोभा का बास, तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।

– रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय व आदेश दिनांक 28.11.2017
न्यायालय तहसीलदार मलसीसर
बमुकदमा उनवानी प्रकरण ग्रामवासीगण बनाम बजरंगलाल
मु.न. 03/2017, अन्तर्गत धारा 251 आर.टी.एक्ट

उपस्थितिः–

1 श्री [illegible] एडवोकेट ———— ————————अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी,एडवोकेट————————रेस्पोडेन्ट की ओर से।

–निर्णय– दिनांक 07.06.2018

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय व आदेश दिनांक 22.11.2017 उनवानी प्रकरण ग्रामवासीगण बनाम बजरंगलाल मु.न. 03/2017 अ.धा. 251 आरटी एक्ट न्यायालय तहसीलदार मलसीसर के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि– अपीलांट ने कथन किया है कि खातेदार हरीराम पुत्र श्री जैसाराम व सुमेर पुत्र खंगाराम निवासी शोभा का बास ने अपने अन्य जान पहचान के राजनैतिक प्रभाव वाले लोगों से मिलकर अपीलान्ट बजरंग लाल को तंग व परेशान करने की नियत से व बजरंग लाल की खातेदारी जमीन का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए बार–बार प्रार्थना पत्र अदालत मातहत के समक्ष पेश किया है। उक्त प्रकरण से पूर्व में भी इसी रास्ते के बाबत अदालत मातहत में मु0 नं0 56/14 विचाराधीन है। और उसके विचाराधीन

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनू

रहने के दौरान ही यह दूसरा प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। इस प्रकार से एक ही रास्ते के बाबत एक ही आदमी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र पेश किये गये हैं जो सीपीसी की धारा 10 का उल्लंघन है। उक्त प्रकरण में रेसजूडीकेटा का नियम लागू होने के कारण प्रकरण चलने योग्य नहीं था बावजूद इनकी अनदेखी कर अपीलांट के खिलाफ निर्णय कर कानूनी गलती की है। अपीलांट की कृषि भूमि पुराने खसरा नंबर 387 नये खसरा नंबर 233 तादादी 27 बीघा 8 विश्वा है जिसके चारों ओर अपीलांट बजरंग लाल ने बाकायदा करीब 30 सालों से तारबंदी कर रखी है। और सीमा के अंदर व सीमा के सहारे पेड़ लगा रखे थे जो काफी बड़े थे लेकिन शिकायतकर्ता हरीराम व सुमेर वगैरह ने पटवारी आदि से साज करके अपीलांट बजरंग लाल की भूमि का रकबा 27 बीघा 8 विश्वा के स्थान पर उसे कम करवाकर 25 बीघा 11 विश्वा दर्ज करवा दिया और अपनी भूमि का खसरा नंबर 273 नये खसरा नंबर 220 तादी 8 बीघा 19 विश्वा का रकबा 10 बीघा 16 विश्वा दर्ज करवा दिया जिसके बाबत अपीलांट बजरंग लाल ने माननीय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू के यहां रिकार्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत दावा पेश किया जो दावा दिनांक 26.102005 को डिक्री किया जाकर अपीलांट बजरंग लाल के खेत रकबा 25 बीघा 11 विश्वा के स्थान पर 27 बीघा 8 विश्वा दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया गया था। साथ ही जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया था कि अपीलांट बजरंग लाल की उक्त कृषि भूमि के चारों ओर तारबंदी को न हटाये व उसके कब्जे काश्त मं दखलबाजी नहीं करें। इसके पश्चात पुनः न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सीकर के आदेश के पश्चात पुन उपखण्ड अधिकारी मलसीसर के पीठासीन अधिकारी मदनलाल सिहाग द्वारा दिनांक 31.3.2015 को अपीलांट बजरंग लाल का दावा पुनः डिक्री किया जाकर आदेश पारित किया गया कि अपीलांट बजरंगलाल की उक्त कृषि भूमि का रकबा 25 बीघा 11 विश्वा के स्थान पर 27 बीघा 8 विश्वा दर्ज किया जावे तथा साथ में स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद भी किया गया तथा आदेश दिया गया कि खसरा नंबर 273 नये खसरा नंबर 220 का रकबा 10 बीघा 16 विश्वा से हटाया जाकर 8 बीघा 19 विश्वा दर्ज किया जावे । न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर का उक्त निर्णय आज भी प्रभावी है। उक्त निर्णय व डिक्री की भी अदालत मातहतन ने अनदेखी कर उक्त निर्णय दिनांक 28.11.2017 को पारित किया गया है जो चलने योग्य नहीं है।

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनू

अपीलांट ने कथन किया है कि 10 सीपीसी के प्रार्थना पत्र को डिसकस किये बगैर अपीलांट से रूस्ट होकर निर्णय पारित किया गया है। अदालत मातहत में प्रश्नगत प्रार्थना पत्र के पहले भी एक प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र भी अदालत मातहत में विचाराधीन था जिसके नंबर 56/14 थे। उक्त प्रार्थना पत्र के विचाराधीन रहते हुये दूसरा प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। इस प्रकार एक ही रास्ते के बाबत एक ही आदमी के विरूद्ध अदालत मातहत में पेश किया गया था जो सीपीसी की धारा 10 का उल्लंघन है। इस प्रकार कानूनन एक ही विवाद कारण हेतु एक ही व्यक्ति के विरूद्ध बार–बार किसी भी न्यायालय में किसी प्रकार की कार्यवाही संस्थित नहीं की जा सकती। अपीलान्ट बजरंग लाल के खेत की तारबन्दी के सहारे सहारे पश्चिम की तरफ रास्ता स्थित है। अपीलांट बजरंग लाल ने अपने खेत के रकबा 27 बीघा 8 विश्वा में ही अपने खेत में लोहे का गेट लगा रखा है। जिसकी अनदेखी कर निर्णय पारित किया गया है जो काबीले खारिज है। अपीलांट ने अपने खेत खसरा नंबर 233 में ही रास्ते के पास में लोहे का गेट लगा रखा था, उक्त गेट के पास में खसरा नंबर 219 जो रास्ते का खसरा नंबर स्थित है जो शोभा का बास से लादूसर जाता है। उक्त रास्ते की भूमि को शिकायतकर्ता पालसिंह ने खेत खसरा नंबर 223 के खातेदार ने दबा रखा है। जिसकी अनदेखी कर अपीलांट के खेत में से पेड़ो को उखाड़ा गया व दिनांक 4.12.2017 को रास्ता निकाला गया है। वर्तमान में अपीलांट की भूमि 27 बीघा 8 विश्वा में से ही रास्ता निकाला गया है जो अपीलान्ट से प्रिज्यूडिस होकर बदले की भावना से रास्ता निकाला गया है जो काबिले खारिज होने योग्य है। दूसरा रास्ता जो अपीलांट बजरंग लाल के खेत तक जाता है जो खेत के दक्षिणी–पूर्वी तरफ है। उक्त खेत में से कोई कटानी रास्ता नहीं है। उक्त रास्ता को भी अपीलान्ट के खेत से दिनांक 07.12.2017 को निकाला गया है तथा अपीलांट के सीमा के सहारे–सहारे उगे हुये पेड़ों को जे.सी.बी. मशीन से उखाड़ा गया है तथा ट्रेक्टर ट्रोली में डालकर ले जाया गया है। तथा नया रास्ता कायम किया गया है। जब कि शोभा का बास से लादुसर जाने वाला एक रास्ता अपीलान्ट के खेत व अन्य लोगों के खेतों के पूर्वी दिशा की तरफ ओर है, इसके बावजूद भी अदालत मातहत ने अपीलान्ट से नाराज होकर अपीलांट के खेत में से नया तीसरा रास्ता निकाल है। अपीलांट के खिलाफ धारा 91 एल0आर0एक्ट का एक प्रकरण इसी अदालत में चल रहा था। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत तहसीलदार

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनू

मलसीसर द्वारा पारित आलौच्य निर्णय दिनांक 28.11.2017 निरस्त किया जावे तथा अपीलार्थी की भूमि में से नाजायज रूप से निकाले गये रास्तों को बन्द कर शिकायतकर्ताओं की भूमियों में पूर्ववत रास्तों को निकालने के आदेश किये जावें।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि – खातेदार हरीराम पुत्र श्री जैसाराम व सुमेर पुत्र खंगाराम निवासी शोभा का बास ने अपने अन्य जान पहचान के राजनैतिक प्रभाव वाले लोगों से मिलकर अपीलान्ट बजरंग लाल को तंग व परेशान करने की नियत से व बजरंग लाल की खातेदारी जमीन का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए बार–बार प्रार्थना पत्र अदालत मातहत के समक्ष पेश किया है। उक्त प्रकरण से पूर्व में भी इसी रास्ते के बाबत अदालत मातहत में मु0 नं0 56/14 विचाराधीन है। और उसके विचाराधीन रहने के दौरान ही यह दूसरा प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। इस प्रकार से एक ही रास्ते के बाबत एक ही आदमी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र पेश किये गये हैं जो सीपीसी की धारा 10 का उल्लंघन है। उक्त प्रकरण में रेसजूडीकेटा का नियम लागू होने के कारण प्रकरण चलने योग्य नहीं था बावजूद इनकी अनदेखी कर अपीलांट के खिलाफ निर्णय कर कानूनी गलती की है। अपीलांट की कृषि भूमि पुराने खसरा नंबर 387 नये खसरा नंबर 233 तादादी 27 बीघा 8 विश्वा है जिसके चारों ओर अपीलांट बजरंग लाल ने बाकायदा करीब 30 सालों से तारबंदी कर रखी है। और सीमा के अंदर व सीमा के सहारे पेड़ लगा रखे थे जो काफी बड़े थे लेकिन शिकायतकर्ता हरीराम व सुमेर वगैरह ने पटवारी आदि से साज करके अपीलांट बजरंग लाल की भूमि का रकबा 27 बीघा 8 विश्वा के स्थान पर उसे कम करवाकर 25 बीघा 11 विश्वा दर्ज करवा दिया और अपनी भूमि का खसरा नंबर 273 नये खसरा नंबर 220 तादी 8 बीघा 19 विश्वा का रकबा 10 बीघा 16 विश्वा दर्ज करवा दिया जिसके बाबत अपीलांट बजरंग लाल ने माननीय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू के यहां रिकार्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत दावा पेश किया जो दावा दिनांक 26.102005 को डिक्री किया जाकर अपीलांट बजरंग लाल के खेत रकबा 25 बीघा 11 विश्वा के स्थान पर 27 बीघा 8 विश्वा दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया गया था। साथ

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनू

ही जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया था कि अपीलांट बजरंग लाल की उक्त कृषि भूमि के चारों ओर तारबंदी को न हटाये व उसके कब्जे काश्त में दखलबाजी नहीं करें। इसके पश्चात पुनः न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सीकर के आदेश के पश्चात पुनः उपखण्ड अधिकारी मलसीसर के पीठासीन अधिकारी मदनलाल सिहाग द्वारा दिनांक 31.3.2015 को अपीलांट बजरंग लाल का दावा पुनः डिक्री किया जाकर आदेश पारित किया गया कि अपीलांट बजरंगलाल की उक्त कृषि भूमि का रकबा 25 बीघा 11 विश्वा के स्थान पर 27 बीघा 8 विश्वा दर्ज किया जावे तथा साथ में स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद भी किया गया तथा आदेश दिया गया कि खसरा नंबर 273 नये खसरा नंबर 220 का रकबा 10 बीघा 16 विश्वा से हटाया जाकर 8 बीघा 19 विश्वा दर्ज किया जावे । न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर का उक्त निर्णय आज भी प्रभावी है। उक्त निर्णय व डिक्री की भी अदालत मातहतन ने अनदेखी कर उक्त निर्णय दिनांक 28.11.2017 को पारित किया गया है जो चलने योग्य नहीं है।

अपीलांट ने कथन किया है कि 10 सीपीसी के प्रार्थना पत्र को डिसकस किये बगैर अपीलांट से रूस्ट होकर निर्णय पारित किया गया है। अदालत मातहत में प्रश्नगत प्रार्थना पत्र के पहले भी एक प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र भी अदालत मातहत में विचाराधीन था जिसके नंबर 56/14 थे। उक्त प्रार्थना पत्र के विचाराधीन रहते हुये दूसरा प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। इस प्रकार एक ही रास्ते के बाबत एक ही आदमी के विरूद्ध अदालत मातहत में पेश किया गया था जो सीपीसी की धारा 10 का उल्लंघन है। इस प्रकार कानूनन एक ही विवाद कारण हेतु एक ही व्यक्ति के विरूद्ध बार-बार किसी भी न्यायालय में किसी प्रकार की कार्यवाही संस्थित नहीं की जा सकती। अपीलान्ट बजरंग लाल के खेत की तारबन्दी के सहारे सहारे पश्चिम की तरफ रास्ता स्थित है। अपीलांट बजरंग लाल ने अपने खेत के रकबा 27 बीघा 8 विश्वा में ही अपने खेत में लोहे का गेट लगा रखा है। जिसकी अनदेखी कर निर्णय पारित किया गया है जो काबीले खारिज है। अपीलांट ने अपने खेत खसरा नंबर 233 में ही रास्ते के पास में लोहे का गेट लगा रखा था, उक्त गेट के पास में खसरा नंबर 219 जो रास्ते का खसरा नंबर स्थित है जो शोभा का बास से लादूसर जाता है। उक्त रास्ते की भूमि को शिकायतकर्ता पालसिंह ने खेत खसरा नंबर 223 के खातेदार ने दबा रखा है। जिसकी अनदेखी कर अपीलांट के खेत में से पेड़ो को उखाड़ा गया व दिनांक 4.12.2017 को रास्ता

जिला कलेक्टर
झुंझुनू

निकाला गया है। वर्तमान में अपीलांट की भूमि 27 बीघा 8 विश्वा में से ही रास्ता निकाला गया है जो अपीलान्ट से प्रिज्यूडिस होकर बदले की भावना से रास्ता निकाला गया है जो काबिले खारिज होने योग्य है। दूसरा रास्ता जो अपीलांट बजरंग लाल के खेत तक जाता है जो खेत के दक्षिणी–पूर्वी तरफ है। उक्त खेत में से कोई कटानी रास्ता नहीं है। उक्त रास्ता को भी अपीलान्ट के खेत से दिनांक 07.12.2017 को निकाला गया है तथा अपीलांट के सीमा के सहारे–सहारे उगे हुये पेड़ों को जे.सी.बी. मशीन से उखाड़ा गया है तथा ट्रेक्टर ट्रोली में डालकर ले जाया गया है। तथा नया रास्ता कायम किया गया है। जब कि शोभा का बास से लादुसर जाने वाला एक रास्ता अपीलान्ट के खेत व अन्य लोगों के खेतों के पूर्वी दिशा की तरफ ओर है, इसके बावजूद भी अदालत मातहत ने अपीलान्ट से नाराज होकर अपीलांट के खेत में से नया तीसरा रास्ता निकाल है। अपीलांट के खिलाफ धारा 91 एल0आर0एक्ट का एक प्रकरण इसी अदालत में चल रहा था। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत तहसीलदार मलसीसर द्वारा पारित आलौच्य निर्णय दिनांक 28.11.2017 निरस्त किया जावे तथा अपीलांट की भूमि में से नाजायज रूप से निकाले गये रास्तों को बन्द कर शिकायतकर्ताओं की भूमियों में पूर्ववत रास्तों को निकालने के आदेश किये जावें।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि हल्का पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम शोभा का बास से लादुसर जाने वाला रास्ता राजस्व रिकार्ड के अनुसार खसरा नंबर 219 रकबा 0.27 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन रास्ता ग्राम लादुसर की जमाबंदी व नक्शे में कटानी दर्ज होना साबित है व दूसरा ग्राम शोभा का बास से लादूसर जाने वाला प्रचलित रास्ता स्थित है जिसको अपीलांट द्वारा अवरूद्ध करने पर खोला गया है। तहसीलदार द्वारा की गई कार्यवाही विधिसम्मत है है जिसमें कोई कानूनी त्रुटि नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट का अपील में मुख्य कथन यह रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय में इसी रास्ते और अपीलांट को लेकर पहले से दूसरा प्रकरण मु0नं0 56/14 विचाराधीन है। जिसके रहते दूसरा प्रार्थना पत्र दर्ज कर हस्तगत प्रकरण में निर्णय पारित किया है। हस्तगत

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनू

प्रकरण में रेसज्यूडिकेटा का सिद्धांत लागू होता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त होने योग्य है। उक्त परिप्रेक्ष्य में मैंने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर के यहां प्रार्थना पत्र 10 सीपीसी प्रस्तुत हुआ है जो आदेश दिनांक 24.11.2017 द्वारा यह कहते हुये खारिज किया गया है कि–"इस न्यायालय में वर्तमान में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है एवं प्रकरण रास्ता का आमजन का होने के कारण पोषणीय नहीं होने पर खारिज किया जाता है ।" विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर में मु0सं0 56/14 विचाराधीन होने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, जिसके अभाव में तहसीलदार मलसीसर के प्रार्थना पत्र 10 सीपीसी को खारिज करने के आदेश दिनांक 24.11.2017 पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है। पटवारी हल्का, लादूसर एवं भू0 अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 12.7.2017 के अनुसार "ग्राम शोभा का बास से लादूसर को जाने वाला प्रचलित दुसरा रास्ता,जो राजस्व रिकार्ड में कटानी नहीं है, जिसको खसरा नंबर 233 के खातेदार बजरंगलाल पुत्र ज्ञानाराम ने उतरी पूर्वी सीमा पर लोहे की जाली का गेट लगाकर बंद कर रखा है जिससे आवागमन बंद हो गया है।"

इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर द्वारा हल्का पटवारी एवं भू0 अभिलेख की मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये आमजन के प्रचलित रास्ते को अपीलांट द्वारा बंद किये जाने पर खोले जाने का आदेश दिया गया है । अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर के निर्णय दिनांक 28.11.2017 में कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती । जहां तक अपीलांट द्वारा विभिन्न न्यायालयों द्वारा पारित निणर्यो का हवाला दिया गया है,उन सभी का अवलोकन किया गया । न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर में निर्णित दावों की विषय–वस्तु इस प्रकरण से भिन्न है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होने से अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.11.2017 मु0न0

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनू

03/2017 अं0धारा 251 आर.टी.एक्ट उनवानी मुकदमा ग्रामवासीगण बनाम बजरंगलाल यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर की मिसल आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(एम0आर0 बागडिया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 07.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम0आर0 बागडिया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू